रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



HRE azette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III---खण्ड 4

PART IU—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

		_						
सं.	148]		नई	दिल्ली,	सोमवार,	জুলাई	22, 2002/आषाष, 31, 1924	

NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2002/ASADHA 31, 1924

No. 148]

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2002

सं. एन.-10/19/2001-पी.पी.सी.— प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 को उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

- 1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ</u>
 - (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [आकाशवाणी समाचार वाचक सह अनुवादक पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- <u>लागू होना</u>:- ये विनियम इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

2310 GI/2002



- 3. <u>प्रारंभिक संघटन</u>:- इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय नियमित आधार पर समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड- I, समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड- II एवं समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड-III के पद पर कार्यरत सभी व्यक्ति इन विनियमों के तहत उस पद पर नियुक्त माने जाएंगे। इन विनियमों के लागू होने से पहले उनके द्वारा की गई सेवा अवधि को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- <u>पद संख्या और वेतनमान -</u> उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. <u>भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक और</u> अन्य अर्हताएं आदि -

उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले वे होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम 3 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

- अन<u>ईता</u> वह व्यक्ति -
 - [क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
 - [ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. <u>शिथिल करने की शक्ति -</u>जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. व्यावृत्ति :-इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आख्सणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

	_	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	11	विमानीय महानिदेशक [1] महानिदेशक (समाचार) समान, प्रमान, आकाशवाणी- आकाशवाणी- आकाशवाणी आकाशवाणी महानिदेशालय - सदस्य [3] रिकि से संबंधित माषा का एक माषा
गेढ जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति 1 आमेलन विष्या जाएगा	10	लागू नही
मतीं की पद्धति	م	सीवी भती द्वारा
परीवीक्ता अवधि यदि कोई हो	œ	दी चर्ष
क्या सीकी भरती किए जाने वाले जादतायां तिर्धातित तिर्धातित सीक्षिक भ्रोतिति श्रीक्षिक भ्रोतिति श्रीक्षिक भ्रोतित भ्रोतित श्रीकिक भ्रोतित भ्रोतित अपि भ्रातित भ्रोतित भ्रातित भ्रातित भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातितिति भ्राति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्राति भ्रातित्ति भ्राते भ्रातिति भ्राति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातिति भ्रातित्ति भ्राति भ्रातित्ति भ्राति भ्रातित्ति भ्राति भ्राते भ्राते भ्राते भ्राते भ्राते भ्रातित्ते भ्राते भ्रातित्ते भ्राते भाते भ्राते भ्राते भ्राते भ्राते भ्राते भ्राते भ्राते भाते भ्राते भ्ताते भ्राते भ्राते भ्राते भ्राते भ्ताते भाते भ्राते भ्रात्	~	लागू नहीं
सीक्षी मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	Q	ते अनिवाय:- [1] किसी मान्यता प्राप्त [1] किसी मान्यता प्राप्त [2] अंग्रेजी और हिन्दी की स्क्रिट की समाचार मदों का रिक्ति से संबंधित समाचार मदों का रिक्ति से संबंधित सारतीय भाषा में अनुवाद का तीन वर्ष का अनुमव। का अनुमव। त्या में सम्मितित माषाओं में से किसी मी माषा होतु सीधे मतीं की जाएगी। मा भाषा की सही जानकारी प्रत्येक रिक्ति के समय दी जाएगी। मा वांछनीय:- [1] हिन्दी, अंग्रेजी तथा संबंधित कारतीय भाषा के अतिरिक्त किसी आरतीय भाषा के अतिरिक्त किसी आरतीय भाषा के अतिरिक्त किसी आरतीय भाषा के अतिरिक्त किसी आरयधीं ने माषा का मैट्रिक स्तर तक माध्यम के रूम में या डिग्री स्तर पर माध्यम के रूम में या डिग्री स्तर पर
सीची मती किए जाने वाले वाले के लिए आयु सीमा आयु सीमा	ß	30 वर्ष से आधिक नहीं। तिप्पाणी: कर्म विलेग कर विलेग सिर्फायों सिर्फा है। निर्णायक तारीख वह तारीख वह
क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर पर	4	लागू नहीं
वेतन मान	с С	6500 - 200 wu rg
संख्या संख्या	2	* 158 [2002] *कार्यभार के आधार पर संख्या मे परिवर्तन वित्र्या का सक्त्रा है।
पत का नाम	1	1. समाचार वाच्क सह- अनुवाटक ग्रेड-III

अनुसूची

[भाग III—खण्ड 4]

3

 R HIGGINI	अघ्ययन किया हे उस उस माषां म		75
 से आवेदन	प्रवीण माना जाएगा J	सदस्य	
 पत्र प्राप्त	[2] रोडियो पत्रिकाओं या पुस्तकों के	[कार्मिक]	
 ₽	लिए लेखन का अनुमव या समाचार	मुख्य कार्यकारी	मारी
	पत्रों/ समाचार एजेंसी/समाचार	अविकारी,	
 तारीख	संगठनों में कार्य करने का अनुभव।	प्रसार मा	मारती
 होगी परन्तु	[3] समसामयिक राष्ट्रीय/ अंतर्शष्ट्रीय	द्वारा ना	नामित
 असम,	मामलों, घटनाओं और सुप्रसिद्ध	किया जाएगा-	迪
 मेघालय,	व्यक्तियों के बारे में जानकारी।	सदस्य	
 अरूणाचल	<u> </u>		
 प्रदेश,	चयन हेतु छांटे गए समी शार्टलिस्ट	•	
 मिजोरम	किए गए। अभ्यर्थियों को आकासवाणी		
 मणिपुर	द्वारा ली जाने वाली स्वर परीक्षण		
 <u> </u>	परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।		. .,
 त्रिपुरा,	<u> </u>		
 रिवियम,	अन्यया सुअर्हता-प्राप्त अभ्यर्थियों के		
 जम्म एवं	मामले में मती बोर्ड के विवेकानुसार		_
 कस्मीर का	अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।		.
 लदाख	टियणी: 3		
 प्रमाग,	यदि चयन प्रक्रिया के किसी प्रक्रम पर		
 हिमाचल	मतीं बोर्ड का यह मत हो कि इन		
 प्रदेश का	समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों		
 चम्बा जिले	को मरने के लिए अपेक्षित अनुमव		
 का पांगी	रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी		
 उपमंडल	पर्यात संख्या में उपलब्ध नहीं हो	· ·	
 अन्द्रमान और	पाएंगे तो अनुसूचित जातियों या		
 निकोबार	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों		
 द्वीप समुह			
 16	अनुभव संबंधी योग्यता [ओ]में ढील		
उम्मीदवारो	दी जा सकती है।		
 क हिंग			
 निर्धारित			
 अंतिम			
 तारीख को			
 छोड़कर।			-

•

ग्रेड जिससे यदि विभागीय प्रोन्नति सैति प्रोतनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	11	 सदस्य कार्मिका प्रसार मारती बोर्ड- अध्यक्ष ट्रो महानिदेशक स्मिमाचार समाचार सेवा प्रमाग, आकाशवाणी- सदस्य ट्राता नामित अधिकारी जिसका स्तार उप महानिदेशक से कम का स्तार उप महानिदेशक से कम का न हो - सदस्य (4) उप महानिदेशक रिप्रसा0] आकाशवाणी महानिदेशालय- सदस्य
मेड जिससे प्रोत्नियुक्ति आमेलन किया जाएगा	10	<u>पदोन्नति</u> : आठ वर्ष की सिवा वाले समाचार बाचक सह अनुवादक से। से।
मती की पद्धति 	о	पदो नाति द्वारा
परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	ω	दो वर्ष
स्या सीसी मत्ती विग् जाने वाले जाने वाले निर्धातित अर्हतास् अर्हतास् अर्हतास् अर्हतास् अर्हतास् अर्हतास् अर्हतास् अर्हतास् अर्हतास् अर्हत विग् निर्धातित्त अर्हत विग् निर्धातित्त अर्हत विग् निर्धातित्त अर्हत विग् निर्धातित अर्हतास् अर्हत्त् त् त् त् त् त् त् त् त् त् त् त् त्	7	लागू नही
सीची मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित औक्षिक और अन्य अहंताएं	9	लाग, नहीं
सीष्टी मती किए जाने क व्यक्तियों आयु सीमा आयु सीमा	£	लाग <u></u> नहीं
क्या चया जोग्यता जा होगा या वारिष्ठता के आधार पर	•1	योग्यता के आधार पर चयन
वेतन सान वे	m	10,000 - 325 15200/- सम्मए
मदों की संख्या	2	* 50 [2002] श्विधीमार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
पद का नाम		2.समाचार वाचक सह- अनुवादक यिउँ।।]

5

गेड जिससे यदि विमागीय प्रोन्नति समिति है तो प्रोन्नति/ उसकी संरचना आतेनियुक्ति आएगा जाएगा	* *-	 सदस्य [कार्मिक] प्रसार भारती बोर्ड- अध्यक्ष महानिदेशक सिमाचायु समाचार सेवा प्रमाग, आकाशवाणी- सदस्य आकाशवाणी महानिदेशालय आकाशवाणी महानिदेशालय आकाशवाणी महानिदेशक [प्रशा0] अकाशवाणी महानिदेशालय- सदस्य आकाशवाणी महानिदेशालय- सदस्य
येड जिससे प्रोन्नति। प्रतिनियुक्ति आएगा जाएगा	10	पदो-नति गेढ मे पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले समाचार आनुवादक ग्रेड-॥ में से
मनी की पहाने स	თ	यदान्ति द्वारा
परीवींसा अववि यदि कोई हो	œ	लागू नही
स्या सीधी सत्ती किए जाने वाले विसर् निर्वारित अहीताएं अहीताएं अहीताएं भी लान सी लान होगी	7	ताम नही
सीची थती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ओर अन्य अहंताएं अहंताएं	Q	लागू नही
सीधी मती किए जाने वाले जाते तिए आयु सीमा	ۍ ا	लागू नही
बया चयान थोग्यता के आधार पर होगा या बरिष्ठता के आधार पर	4	योग्यता के आधार पर चयन
वेतन मान	n	12,000 - 375 16,500/- ਲਸਧ੍
पत्ते की संख्या	2	* 20 [2002] अधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। जा सकता है।
पद का नाम म	F	3. समाचार वाचक सह- अनुवादक [गेड-]]

के. एस. शर्मा, कार्यकारी सदस्य [विद्यापन-III/IV/असाधारण/163/02]

6

PRASAR BHARATI (Broadcasting Corporation of India) NOTIFICATION New Delhi, the 19th July, 2002

No. N-10/19/2001-PPC. In exercise of the powers conferred by section 33 read with subsection (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- Shert title and commencement. (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Akashvani News Reader-cum-Translator posts) Service Regulations, 2002.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These regulations shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Initial Constitution : All persons appointed on or before the commencement of these regulations holding the posts of News Reader-cum-Translator Grade-I, News Reader-cum Translator Grade-II and News Reader-cum-Translator Grade-III on regular basis shall be deemed to have been appointed under these regulations to the corresponding posts. The service rendered by them before the commencement of these regulations shall be taken into account for promotion to the next higher grade

4. Number of posts and scales of pay. - The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule aforesaid.

- 5. Method of recruitment, age limit, educational and other qualifications etc The method of recruitment, age limit, educational and other qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 3 to 11 of the Schedule aforesaid.
- 6. Disqualification . No person-
 - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts .

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax. - Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts

8. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by Government from time to time.

					<u>Schedule</u>					
Name of post	Number. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection- cum- Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ deputation / absorption to be made	If <u>Departmental</u> <u>Promotion</u> <u>Committee</u> exists what is its composition
1	2	3	4 -	5	6	7	8	9	10	11
1. News mader cum- Trans lator Grad: • III	158* (2002) *subject to variation dependent on workload	Rs. 6500- 200- 10500/-	Not Applicable	Not exceeding 30 years. <u>Note 1</u> Relaxable for Government Servants upto five years. <u>Note 2</u> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date	Essential: (i) Degree from a recognised University or equivalent; (ii) Three years experience of translating the news items from English and Hindi edited scripts to the concerned Indian language relevant to the vacancy. NOTE: Direct recruitment shall	Not Applicable	Two years	Direct recruïtment.	Not Applicable	Departmental Promotion Committee 1. Director General (News), News Services Division, Akashvani - Chairman 2. Deputy Director General (Administration) Directorate General, Akashvani - Member 3. One language expert relevant to the vacancy to be nominated by Member
				prescribed for those in Assam, Maghalaya,	be made to any of the Indian languages in Eighth Schedule					(Personnel)/CEO, Prasar Bharati - Member

[भाग]]।---खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

•			· · ·		[]
Arunachal	to the	~		Ţ	
Pradesh,	Constitution.				
Mizoram,	Exact language		1		1 1
Manipur,	requirement shall				}]]
Nagaland,	be indicated at				1
Tripura,	the time of each	j			
Sikkim,	requirement.				1 1
Ladakh				· •	
Division of	Desirable:				
Jammu and	(i) Proficiency in				
Kashmir State,	any other Indian	.		1]]}
Lahaul and	language besides	1			
Spiti Districts	Hindi, English	1)	(.	
and Pangi Sub)	and the	ļ			11
Division of	concerned	}			
Chamba	Indian language				
District of	(a candidate who	ł			
Himachal	studied a				
Pradesh,	language as a	1	}		
Andaman and	medium upto	1	1		
Nicobar	matriculation	1]]]
Islands and	level or studied	-]		
Lakshadweep).	that language as				
	an elective				
	subject at degree			-	
	level shall be	(
	considered				
	proficient in that				
	language).		1 1	ł	
	ii) Experience of			1	
	writing for radio				
	periodicals or				1 11
	books, or				
	experience of				
	work in News				·
	Papers/News		1		
	agency/News		<u> </u>		<u>- </u>
 			·····		

•

15

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART III--SEC. 4]

.

							•			r
				T	Organisations.	1			-	[]
	1	ł		ł	(iii) Knowledge of	1	l i			l l
	-	4	1	ł	current national/					
	1	}	[4	international	•				
] .	[4	affairs, events					
	1	l l			and		[]	:		Í
	1	1	1		personalities.					
1		ļ	ŕ		1					1
	{	[ŧ		NOTE 1: All the		ļ			
	1		4	ĺ	candidates short-				l .	
	1	ſ	1		listed for				' i	ł
		1	1		appointment shall				I	
		1	}		be required to				ļ	. (
ļ	1	})		qualify an				i	
) i	ł]		audition test to be			1	1	
		ł			conducted by				ì	
		l	[Akashyani.					
}	1	}	ĺ		NOTE 2:					
			1		Qualifications are	,		ĺ		
			Į .		relaxable at the					Í
}		f	}		discretion of the)		Ì		
1		í	ł		Recruitment			}		}
	ļ		}		Board in case of			ĺ	i	
	ļ .				candidates	1			1	Í
			ţ		otherwise well			ļ	l	
[ť	1	}	qualified.	1			}	.
					NOTE 3: The	}		}		
	1				qualification(s)					ľ
			ſ		regarding	(ļ		
		1	1	i	experiences is/arc	1		ĺ	í	}
i					relaxable at the)		ļ	1	
ĺ	[ļ		discretion of the	l				
ł	1				Recruitment	}				ĺ
		1	}		Board, in the case	ł		[l	
}		1	1		of candidates			1		
		Į			belonging to	•			[j
	1		1		Schedule Castes	}			{	
	L	l	I		schedine Castes	l	L			

11=

[भाग [[[-खगड 4]

भारत का राजपत्र : अग्नाधारण

[r Schedule	•	Ì			
	1	T	ribes, if at any		4			
	} !	j si	tage of selection.		1			
		11	he Recruitment]	1			
		i (B	loard is of the	Į.	ł			
-		0	pinion that	Į				
		S	ufficient number	(E I			
		o	f candidates	[į			
		l fi	rom these		1		1	
	1 1		ommunities	ļ	1			
		P	ossessing the		1	ļ		
		71	equisite		j			
		e:	xperience are		1	1		
		n	ot likely to be	l	1			
		i ar	vailable to fill	Ļ	1			
	• •	1 1	p the vacancies	ļ				
			eserved for	1	Ī			
		<u> </u> <u>t</u>	hem.					

a||

Name of the post	No of post	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	Method of recruitment.	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1) 2. Newsreader cum- Translator (Grade –II)	(2) 60* (2002) *subject to variation dependent on workload	(3) Rs.10000- 325-15200	. (4) Selection by merit.	(5) Not Applicable	(6) Not Applicable	(7) Not Applicable	(8) Two years	(9) Promotion	(10) <u>Promotion</u> : Promotion from amongst Newsreader- cum- Translator Grade-III with eight years regular service in the grade	 Member (Personnel), Prasar Bharati Board Chairman Director General (News), News Services Division Akashvani – Member A nominee of Director General, Akashvani not below the rank of Deputy Director General - Member Deputy Director General (Administration), Director General: Akashvani - Member

<u>||ដ</u>

Newsreader cum- tum-(2002)375- by merit.by merit.ApplicableApplicableApplicablePromotionFrom amongst Newsreader-Bharati Board -Chairr 2. Director General (News) Newsreader-TranslatortotoFrom amongstBharati Board -Chairr amongst News Services Division	Name of the post	No of post	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-' cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment,	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotio Committee exists. what is it composition
	(1) 3. Newsreader cum- Translator (Grade –1)	20 * (2002) * Subject to variation dependent on	Rs.12000- 375- 16500	Selection	Not	Not	(7)	Not	By	Promotion From amongst Newsreader- cum- Translator Grade-II with five years regular service in	 Member (Personnel), Pr. Bharati Board -Chairr Director General (News) News Services Division Akashvani - Member A nominee of Director General, Akashvani not below the rank of Deputy Director General-Memt Deputy Director Genera (Administration), Directorate General :

•1

K. S. SARMA, Executive Member [ADVT III/IV/Exty/163/02]

.